समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
–:आदेशः–

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09–09–2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाअन्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने–अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उसपर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन /बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 14–10–2013 एवं 15–10–2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत् छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19–10–2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी श्री धरमेन्द्र राव, पिता– स्व0 चन्द्रशेखर राव, सा0– सनहोला, रामनगर, थाना– तरपुलवा, जिला– देवरिया, उप समाहर्त्ता, प्लान्ट प्रोटेक्शन, द्वारा श्री राजेश्वर यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 30/श0, दिनांक 12–12–2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली– 1962 के नियम –63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त– 9(ए) का उल्लंधन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति संख्या– 04/1985 (मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उल्लेखनीय है कि श्री धरमेन्द्र राव, पिता– स्व0 चन्द्रशेखर राव, सा0– सनहोला, रामनगर, थाना– तरपुलवा, जिला– देवरिया, उप समाहर्त्ता, प्लान्ट प्रोटेक्शन, द्वारा श्री राजेश्वर यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राप्त एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति संख्या– 04/1985 (मधेपुरा थाना) पर शस्त्र धारित नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी, पूछे गए कारण पृच्छा का जवाव या अपना वचाव पक्ष भी समर्पित नहीं किया गया है, जो अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश अवज्ञा, मनमानेपन एवं उदासीनता का द्योतक है, जो अनुज्ञापन शर्त्तो का उल्लंधन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंधन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति संख्या– 04/1985 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी श्री धरमेन्द्र राव, पिता– स्व0 चन्द्रशेखर राव, सा0– सनहोला, रामनगर, थाना– तरपुलवा, जिला– देवरिया, उप समाहर्त्ता, प्लान्ट प्रोटेक्शन, द्वारा श्री राजेश्वर यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त (मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 धंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री धरमेन्द्र राव द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 128 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 26.03.2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री धरमेन्द्र राव, पिता– स्व0 चन्द्रशेखर राव, सा0– सनहोला, रामनगर, थाना– तरपुलवा, जिला– देवरिया, उप समाहर्त्ता, प्लान्ट प्रोटेक्शन, द्वारा श्री राजेश्वर यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

26/03/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।